जनपद जालौन, उत्तर प्रदेश
प्रेस नोट सं0-35 , दिनांक 03.11.2022

थाना जालौन पुलिस एवं एसओजी व सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम द्वारा थाना जालौन क्षेत्रान्तर्गत हुयी हत्या (ब्लाइन्ड मर्डर) की घटना का सफल अनावरण करते हुये हत्या से सम्बन्धित 05 अभियुक्तगण को घटना मे प्रयुक्त आलाकत्ल व 02 अदद मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगणों का विवरण -

1. छोटू त्रिवेदी उर्फ आशुतोष पुत्र रामकुमार निवासी मो0 जोसियाना कस्बा व थाना जालौन
2. बिहारी सोनी उर्फ प्रिन्स पुत्र मोहन सोनी निवासी मो0 फर्दनवीस कस्बा व थाना जालौन
3. आदित्य पटेल पुत्र चेतन कुमार निवासी मो0 भवानीराम कस्बा व थाना जालौन
4. मोहित बाथम पुत्र स्व0 सुरेश चन्द्र नि0 धुआताल कस्बा व थाना जालौन
5. शिवपूजन राजपूत उर्फ शिवा पुत्र भीम सेन राजपूत नि0 मो0 चौधरियाना कस्बा व थाना जालौन

बरामदगी का विवरण -

1. एक अदद रक्त रंजित लोहे का पाईप (आलाकत्ल)
2. दो अदद एक छोटा व एक बड़ा कपडे का झोला
3. एक पुरानी इस्तेमाली पर्स जिसमें मृतक का आधार कार्ड व फोटों तथा अन्य कागजात
4. दो अदद मोटर साइकिल घटना में प्रयुक्त
5. नगद 1210/- रुपये

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 23. 10.2022 को श्री श्याम जी चौरसिया पुत्र स्व0 बलराम चौरसिया नि0 मु0 चौधरियाना कस्बा व थाना जालौन ने सूचना दी कि दिनांक 22.10.2022 की रात्रि को मेरे बड़े भाई विरेन्द्र कुमार चौरसिया पुत्र बलराम चौरसिया नि0 मु0 चौधरियाना कस्बा व थाना जालौन जनपद जालौन की किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा सिर पर चोट पहुंचा कर हत्या कर दी है जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली जालौन पर मु0अ0सं0 227/22 धारा 302 भादवि बनाम अज्ञात अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक जालौन के कुशल निर्देशन में रोकथाम अपराध, उक्त घटना का शीघ्र ही सफल अनावरण करने के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में क्षेत्राधिकारी जालौन के कुशल नेतृत्व में थाना जालौन ,एसओजी एवं सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम को लगाया गया था, जिसमें विवेचना प्रारम्भ की गयी एवं साक्ष्यों के आधार पर 05 अभियुक्त प्रकाश में आये जिनको गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है । अभियुक्तों द्वारा डकैती डालते समय विरेन्द्र कुमार चौरसिया उपरोक्त की हत्या की गयी थी जो कि धारा 396 भादवि की परिधि में आता है ।

गिरफ्तारी का स्थान , दिनांक व समय -

थाना जालौन पुलिस एवं एसओजी व सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम द्वारा थाना क्षेत्र में रोकथाम अपराध, चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति, लुटेरे, वाहन चोर / वांछित अपराधी एवं पतारसी सुरागरसी के दौरान मुखबिर की सटीक सूचना पर थाना जालौन क्षेत्र के औऱैया जाने वाले हाईवे पर कस्बा जालौन से आगे प्रतापपुरा मोड के पास से दिनांक 02.11.2022 को समय 21.10 बजे अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर अभियुक्तों की निशादेही पर आलाकत्ल बरामद किया गया ।

पूछतांछ पर अभियुक्तगण द्वारा जुर्म स्वीकर करते हुए बताया कि दिनांक 22/23.10.2022 रात्रि में धनतेरस का त्यौहार था हम लोगों के पास पैसे नहीं थे इसी कारण हम लोग इन्ही मो 0साइकिलो में बैठकर लूट की योजना से

औरैया रोड़ की ओर जा रहे थे जब हम लोग चुंगी नं0 -04 के आगे कन्हैया होटल के आगे 100 कदम पहुंचे तो वीरेन्द्र चौरसिया अपने दुकान पर अकेले बैठे थे जिन्हे हम लोग पहले से जानते थे हम लोगों ने सोचा की इनके पास काफी पैसा होगा इसी नियत से वीरेन्द्र चौरसिया की दुकान पर पहुंचकर मो 0साइकिलें खड़ी कर दुकान के अन्दर गये तथा धमकी देकर वीरेन्द्र चौरसिया से उनके पैसों का झोला छीनने लगे कि वीरेन्द्र हम लोगों से भिड़ गये तब मैने (शिवपूजन राजपूत उर्फ शिवा) ने दुकान में रखा लोहे का हथौड़ा उठाकर वीरेन्द्र चौरसिया के सिर पर मार दिया जिससे उसका सिर फट गया तब भी वीरेन्द्र चौरसिया हम लोगो पर झपटता रहा तभी छोटू त्रिवेदी उर्फ आशुतोष ने जिसके हाथ में लोहे का पानी वाला पाईप था पाईप से कई बार वीरेन्द्र चौरसिया के सिर व चेहरे पर वार किया कुछ ही देर में वीरेन्द्र की मृत्यु हो गयी तब हम लोगो ने वीरेन्द्र का नीले रंग के कपड़े का झोला जिसमें विक्री के पैसे रखे थे ले लिये तथा हथौड़ा वहीं पर फेक कर मो0सा0 पर सवार होकर चुंगी नम्बर 04 के आगे सारंगपुर जाने वाले रोड से करीब 100 मीटर पहले बाये हाथ पर बने कर्बला पर स्थित पुलिया पर पहुंचे तथा झोले को खोलकर देखा तो झोले में 10 हजार रुपये नगद मिले थे उसी झोले के अन्दर एक कत्थई रंग का छोटा झोला भी था जिसके अंदर एक पुरानी पर्श काले रंग की मिली थी उस पर्श के अन्दर 5 हजार रुपये नगद मिले थे जिन्हे हम लोगों ने आपस में बाँट लिया था हम लोगों के हिस्से में 3-3 हजार रुपये मिले थे जो जुआ में खर्च हो गये जो पैसे हम लोगो की तलाशी मे मिले है वही पैसे बचे है दोनों झोलो व खाली पर्श को पास में ही झाड़ी के नीचे छीपा दिया था वहीं पर आदित्य ने लोहे का पाईप भी छुपा दिया था हम लोगों से गलती हो गयी।

अपराधिक इतिहास अभियुक्त छोटू त्रिवेदी उर्फ आशुतोष उपरोक्त -

1. मु0अ0स0 1026/19 धारा 392/411/413 भादवि थाना उरई जनपद जालौन
2. मु0अ0स0 305/20 धारा 411/413 भादवि व 41 सीआरपीसी थाना जालौन जनपद जालौन।

अन्य अभियुक्तगणों के अपराधिक इतिहास के विषय में आसपास के थानों एवं जनपदो से उपरोक्त अभियुक्तगणों के अपराधिक इतिहास का पता लगाया जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः-

1. प्र0नि0 श्री कुलदीप कुमार तिवारी थाना जालौन
2. उ0नि0 श्री अर्जुन सिंह प्रभारी एस0ओ0जी0
3. उ0नि0 योगेश पाठक प्रभारी सर्विलांस सेल
4. उ0नि0 श्री अनिल कुमार थाना जालौन
5. उ0नि0 श्री रजत कुमार सिंह थाना जालौन
6. हे0का0 200 श्रीरामप्रजापति एस0ओ0जी0
7. हे0का0 80 निरंजन सिंह एस0ओ0जी0
8. हे0का0 280 अश्वनी एस0ओ0जी0
9. हे0का0 214 राजीव कुमार एस0ओ0जी0
10. का0 1107 रवि भदौरिय एस0ओ0जी0
11. का0 1634 विनय प्रताप एस0ओ0जी0
12. का0 1036 गौरव बाजपेई सर्विलांस सेल
13. का0 1849 सुशान्त मिश्रा सर्विलांस सेल
14. का0 1990 शिवचरन थाना जालौन
15. का0 153 ज्ञानप्रभाकर थाना जालौन
16. म0का0 711 रूचि थाना जालौन